

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 42/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 03.09.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा बोर्ड द्वारा निर्गमित अधिसूचना सं. 128/2016-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 25.10.2016, का.आ. 3303(अ) दिनांक 25.10.2016 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.9 के स्तंभ सं.3 में मौजूद प्रविष्टि "फ़ा.सं. 50D/28/2009/C1 दिनांक 28.02.2013" को "फ़ा.सं. 50D/28/2009/C1 दिनांक 28.02.2013, दिनांक 06.08.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फ़ा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-28/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो एवं अन्य आईसीडीस, पटपरगंज, दिल्ली
2. उप निदेशक (सीआई), ए-सेल, डीआरआई(मुख्यालय), दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि नोटिसी को इस अधिसूचना के संदर्भ में सूचित करें।